P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper Name- (Law Of Torts And Consumer Protection Including Compehnsation Under Motor Vehicle)

Paper-III अपकृत्य विधि Unit-2

प्र०-1 प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इस संदर्भ में विशेष रूप से सेवक द्वारा किए गए दुषकृत्य के लिए स्वामी के लिए दायित्व को स्पष्ट कीजिए!

सामान्यतः कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा किये गये दोषपूर्ण कृत्यों के लिये उत्तरदायी होता है, और दूसरों के द्वारा किये गये कृत्यों के लिये उसका कोई दायित्व नहीं है। किन्तु कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के लिये उत्तरदायी होता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। ऐसा दायित्व साधारणतया तीन प्रकार के सम्बन्ध में होता है। वह है

(1) अभिकर्ता (agent) के अपकृत्य के लिये प्रमुख (principal) का दायित्व
(2) एक दूसरे के अपकृत्य के लिये भागीदारों (partners) का दायित्व
(3) सेवक (servant) के अपकृत्य के लिये स्वामी (master) का दायित्व।

यही नियम स्वामी और सेवक के सम्बन्धों पर भी लागू होता है, यदि सेवक नियोजन के अनुक्रम (course of employment) में दोषपूर्ण कार्य करता है, तो स्वामी उसके लिये प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होता है। स्वामी का दायित्व भी सेवक के दायित्व के अतिरिक्त होता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों से उत्पन्न दायित्वों पर नीचे विचार विमर्श किया जा रहा है।

1. प्रमुख और अभिकर्ता

(Principal and Agent)

जहाँ एक व्यक्ति को कोई अपकृत्य करने के लिये प्राधिकृत करता है, वहाँ उसके लिये न केवल उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है, जो उसे करता है वरन् उसका भी होता है जिसने उसको करने के लिये प्राधिकृत किया है। यह उस सामान्य सिद्धान्त पर आधारित है कि "जो दूसरे के द्वारा कृत्य करता है वह स्वयं ही कृत्य करता है अर्थात् अभिकर्ता के कृत्य प्रधान के ही कृत्य होते हैं। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि अभिकर्ता का कार्य उसके प्रमुख का भी कार्य है प्रमुख द्वारा प्राधिकृत और अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य उसके प्रमुख का भी कार्य है। प्रमुख द्वारा प्राधिकृत और अभिकर्ता द्वारा किया गया कोई कार्य दोनों को एक समान उत्तरदायी बनाता है। उनका उत्तरदायित्व संयुक्त और पृथक दोनों होता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कार्य करने का प्राधिकार अभिव्यक्त (express) अथवा विवक्षित (implied) हो सकता है। प्रमुख सामान्यतः अपने अभिकर्ता से दोषपूर्ण कार्य अभिव्यक्तत: करने को नहीं कहता, परन्तु जब अभिकर्ता एक अभिकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के साधारण अनुक्रम में कार्य करता है, तब प्रमुख उसके लिये उत्तरदायी हो जाता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम **श्याम देवी** के वाद में वादी के पति ने कुछ धनराशि और चेक अपने मित्र को दिये। उसका मित्र प्रतिवादी बैंक का एक कर्मचारी था। धनराशि और चेक वादी के खाते में जमा करने के लिये दिये गये थे इन्हें जमा करने की कोई उचित रसीद बैंक के कर्मचारी द्वारा नहीं दी गई। वास्तव में बैंक के कर्मचारी ने धनराशि का दुर्विनियोग कर लिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि बैंक के कर्मचारी द्वारा जब कपट किया गया था, तब तक बैंक के नियोजन के अनुक्रम में कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि जमाकर्ता के मित्र के रूप में अपनी निजी क्षमता के अन्तर्गत कार्य कर रहा था। अत: प्रतिवादी बैंक को उसके लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता ।

प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व के प्रयोजन के निमित्त यदि कोई मित्र, जो मेरी कार मेरे लिये चला रहा है, मेरा अभिकर्ता हो जाता है । **आर्मरॉड** बनाम **क्रासविले मोटर सर्विस लिमिटेड** के वाद में कार के स्वामी ने अपने मित्र से अपनी कार

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

चलाने को कहा। मित्र जब उसकी कर चला रहा था,तब वह एक बस से भिड गयी। कार का स्वामी उत्तरदायी ठहराया गया।

भागीदार (Partners)

भागीदारों के बीच का सम्बन्ध प्रमुख और अभिकर्ता का सम्बन्ध होता है। इनके उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी अभिकरण-विधि के नियम लागू होते हैं। फर्म के व्यापार के साधारण अनुक्रम में यदि कोई भागीदार अपकृत्य करता है, तो अन्य समस्त भागीदार उस सीमा तक उस अपकृत्य के लिये उत्तरदायी होते हैं, जितना की दोषी भागीदार होता है । हर भागीदार का उत्तरदायित्व संयुक्त और पृथक दोनों होता है ।' हैमलिन बनाम होस्टन एण्ड कम्पनी 0 के वाद में प्रतिवादी की फर्म के दो भागीदारों में से एक ने भागीदार के रूप में अपने प्राधिकार के सामान्य विस्तार क्षेत्र में कार्य करते हुये वादी के क्लर्क को रिश्वत दी और उसे इस बात के लिये उत्प्रेरित किया कि वह अपने नियोजक (वादी) के व्यापार की गोपनीय बातों को उससे बताकर उनका रहस्य खोल दे, और इस प्रकार अपने नियोजक के साथ संविदा भंग करे। यह धारित किया गया कि उसके लिये फर्म के दोनों भागीदार अपकृत्य के लिये उत्तरदायी थे, हालाँकि दोषपूर्ण कार्य केवल एक भागीदार द्वारा ही किया गया था।

3. स्वामी और सेवक (Master and Servant)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

यदि कोई सेवक अपने नियोजन के अनुक्रम में कोई दोषपूर्ण कार्य करता है, तो स्वामी उसके लिये उत्तरदायी होता है। सेवक स्वयं भी उसके लिये उत्तरदायी होता है।

सेवक का दोषपूर्ण कार्य उसके स्वामी का भी दोषपूर्ण कार्य माना जाता है । "सेवक के कार्य के लिये स्वामी के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त "Respondent Superior" (प्रतिवादी उत्कृष्ट) नामक सूत्र पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है, "प्रमुख को उत्तरदायी होने दो"।1 और इस सूत्र द्वारा स्वामी की स्थिति दोषपूर्ण कार्यकर्ता वाली ही होती है। यह सिद्धान्त "qui facit per alium facit per se" सूत्र से भी अपनी वैधानिकता ग्रहण करता है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि "यदि कोई व्यक्ति, दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, तो विधि के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उसने स्वयं उस कार्य को किया है

स्वामी के उत्तरदायित्व के लिए निम्न दो तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है -

(1) यह कि, अपकृत्य 'सेवक' द्वारा किया गया हो।

(2) यह कि, सेवक ने अपकृत्य "अपने नियोजन के अनुक्रम में" किया हो

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

सेवक कौन है?

सेवक वह व्यक्ति है, जो किसी दूसरे व्यक्ति (स्वामी) के निर्देश और नियन्त्रण के अनुसार कार्य करने के लिये नियोजित किया गया है। साधारणतया स्वामी अपने सेवक द्वारा किये गये अपकृत्य के लिये उत्तरदायी होता है, परन्तु वह किसी स्वतन्त्र ठेकेदार (independent contractor) द्वारा किये गये अपकृत्य के लिये उत्तरदायी नहीं होता। अत: इन दोनों में अन्तर जानना आवश्यक है।

हल्ल बनाम **लीज** के वाद में प्रतिवादी एक समिति थे, जो रोगियों की परिचर्या के लिये योग्य नर्सों की आपूर्ति करते थे । उन्होंने वादी को दो नर्सों की आपूर्ति की, और वादी को ही उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करना था। नर्सों की उपेक्षा के परिणामस्वरूप एक अत्यन्त गर्म पानी की बोतल वादी के शरीर के स्पर्श में आई, जिसके परिणामस्वरूप वह भयंकर रूप से जल गई वादी ने नर्सों की समिति के विरुद्ध जब कार्यवाही की, तो यह धारित किया गया कि उस समय विशेषकर नर्सें वादी की ही सेविकायें थीं. प्रतिवादियों की नहीं, अत: प्रतिवादी वादी की क्षति के लिये उत्तरदायी न थे।

नियोजन का अनुक्रम (The Course of Employment)

प्रमुख की भाँति, स्वामी भी ऐसे समस्त अपकृत्यों के लिये उत्तरदायी होता है जिसे वह वास्तविकतः प्राधिकृत करता है। स्वामी का उत्तरदायित्व न केवल

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

उन कार्यों तक सीमित रहता है, जिसे करने के लिये वह अभिव्यक्ततः प्राधिकृत करता है, वरन् वह ऐसे अपकृत्यों के लिये भी उत्तरदायी होता है, जिसे सेवक ने नियोजन के अनुक्रम में किया है। कोई कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया जाना तब माना जाता है, यदि वह या तो-(1) स्वामी द्वारा प्राधिकृत कोई दोषपूर्ण कार्य है अथवा (2) दोषपूर्ण अप्राधिकृत ढंग से किया गया

सेवक द्वारा किया गया कपट

लायड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के वाद में हाउस ऑफ़ लिर्ड्स ने यह धारित किया कि जब कोई सेवक व्यापर के अनुक्रम में कार्य करता है, तब उसका स्वामी उत्तरदायी होगा चाहे भले ही स्वामी के लाभ की उपेछा सेवक ने अपने ही लाभ के लिए कार्य किया हो लायड के वाद में श्रीमती लायड एक विधवा थी, और वे कुटीरों की स्वामिनी थी ।इन कुटीरों से मिलने वाली आय से श्रीमती लायड संतुष्ट न थी, और वह इस निमित आवशयक परामर्श लेने के लिए सलिसीत्रों की एक फार्म ग्र्रेस स्मिथ एंड कंपनी के कार्यालय में आई । कंपनी के प्रबंधकीय क्लर्क ने उसकी बैटन को सुना और उसने यह सलाह दी की बैग अपने कुटीरों की बिक्री कर दे इस हेतु उसने विक्रय के लिए दो हस्ताक्षर करने के लिए श्रीमती लायड के समक्ष प्रस्तुत किये। वास्तव में दस्तावेज विक्रय -प्रपत्र न होकर स्वाम उस क्लर्क के पक्ष में किये गए दान प्रपत्र थे। उसके बाद उस क्लर्क ने उस संपत्ति को स्वाम अपने लाभ के लिए

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

बिक्री कर दिया हाउस ऑफ़ लार्ड्स ने एकमत से यह धारित किया की ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी अपने अभिकर्ता के कपट के लिए उत्तरदायी थी ।चाहे भले की बह अभिकर्ता स्वाम अपने ही लाभ के लिए कार्य कर रहा था। , और कंपनी को कपट का ज्ञान न रहा हो, क्योंकि अभिकर्ता ने कपत तब किया था, जब वह कंपनी के प्रकट अथवा द्रश्यमान प्राधिकार के अनुक्रम में कार्य कर रहा था ।

सेवक की भूल

जब कोई सेवक, जिसे अपने स्वामी की ओर से किसी कार्य के लिये विधिपूर्ण प्राधिकार प्रदान किया गया है, प्राधिकार का त्रुटिपूर्ण अथवा अनुचित उपयोग करता है, तो उसे परिणामस्वरूप वादी को हानि के लिये स्वामी उत्तरदायी है। सेवक का यह अभिनिहित प्राधिकार प्राप्त रहता है कि वह अपने स्वामी की सम्पत्ति की रक्षा करें यदि कोई सेवक ऐसे कर्तव्य के निष्पादन के प्रयत्न में अधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसका कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया कार्य माना जायेगा पोलैण्ड बनाम पार्र एण्ड संस9 का वाद इस नियम का एक दृष्टान्त है। इस वाद में एक गाड़ीवान को भूल से परन्तु युक्तियुक्तक आधारों पर यह सन्देह हुआ था कि उसके नियोजक की गाड़ी से कुछ लड़के चीनी की चोरी कर रहे हैं। चोरी के निवारण और नियोजक की सम्पत्ति की

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

रक्षा करने के लिये उसने एक लड़के पर प्रहार किया । बालक गिर कर गाड़ी के नीचे दब गया और परिणामतः उसकी एक टाँग कट गयी। यद्यपि गाड़ीवान ने अनुचित बल का प्रयोग किया था किन्तु, वह इतना अत्यधिक बल प्रयोग नहीं था, कि उसके कार्य को उस वर्ग से बाहर का कार्य माना जाये जिसे करने के लिये सेवक को प्राधिकार प्राप्त था। अत: स्वामी को सेवक द्वारा किये गये कार्य के लिये उत्तरदायी माना गया।

स्वामी का दायित्व-यदि दुर्घटना और कर्मकार की मृत्यु के मध्य कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो स्वामी प्रतिकर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं होता है 60

सेवक द्वारा प्राधिकार का उपेक्षा के साथ प्रत्यायोजन

(Negligent Delegation of authority by the Servant)

यदि कोई सेवक उपेक्षा के साथ अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करता है, और अपने कर्तव्य का स्वयं सावधानीपूर्वक निष्पादन न करके दूसरे व्यक्ति को उसके निष्पादन की अनुमति प्रदान करता है, तो स्वामी अपने सेवक की इस उपेक्षा के लिये उत्तरदायी है। उदाहरण के लिये यदि एक चालक स्वयं बस को

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

न चलाकर किसी अन्य व्यक्ति को उसे चलाने की अनुमति प्रदान करता है, तो यह चालक द्वारा अपने कर्तव्यों को उपेक्षापूर्ण ढंग से निष्पादन करना माना जायेगा, यदि वह दूसरा व्यक्ति, जिसे चालक ने इस प्रकार बस चलाने की अनुमति प्रदान की है, कोई दुर्घटना करता है, तो स्वामी दुर्घटना के प्रतिफल के लिये उत्तरदायी होगा स्वामी के इस प्रकार के उत्तरदायित्व का कारन यह नहीं है की वह व्यक्ति जिसे चालाक ने बस चलाने के लिए प्राधिकृत किया था।

वह बस चलाते समय नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहा था, वरन स्वामी के उत्तरदायित्व का कारण यह है की उसने जिस चालक को बस चलाने के लिए नियुक्त किया था, उसने असावधानी के साथ अपना प्राधिकार दूसरे चालक को प्रत्यायोजित कर दिया था, और यही प्रत्यायोजन दुर्घटना का प्रभावशाली कारण था।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०-2 "स्वेछा से उठाई गई हानि, क्षति नहीं होती" इस बचाव की व्याख्या कीजिए इसके कुछ अपवाद है! वर्णन कीजिए

1. सम्मति

(Volenti non fit Injuria)

इसका अर्थ है वादी द्वारा स्वेच्छा से उठायो गई हानि से उसे विधिक क्षति नहीं होती तथा वह उसके लिये वाद नहीं ला सकता। उसके द्वारा दी गई सम्मति उसके विपरीत एक अच्छी प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है। हानि उठाने की सम्मति अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकती है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तब आप उसके प्रतिकूल अतिचार का वाद दायर नहीं कर सकते। इसी प्रकार, जब आप किसी शल्य-चिकित्सक के समक्ष अपने को किसी शल्य-क्रिया के निमित्त समर्थित कर देते हैं, तो शल्य-क्रिया सम्पादन के वाद उसके विरुद्ध वाद नहीं ला सकते, क्योंकि इन कार्यों के लिये आपने अपनी सम्मति दी है। इसी प्रकार, यदि एक व्यक्ति अपने ही प्रतिकूल किसी मानहानि विषय के प्रकाशन की सम्मति दे देता है, तो वह ऐसे प्रकाशन के बाद मानहानि का वाद दायर नहीं कर सकता।

अनेकों बार सम्मति या तो विवक्षित हो सकती है या पक्षकारों के आचरण से अनुमानित की जा सकती है। उदाहरण के लिये, क्रिकेट अथवा फुटबाल के खेल

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

में यह मान लिया जाता है कि खिलाड़ी उस चोट को सहने के लिये सहमत है, जो उस खेल के सामान्य प्रक्रम में उसे लग सकती है । किन्तु यदि हिंसा का प्रयोग उस सीमा से अधिक किया जाता है, जो आवश्यकता ऐसे किसी भी खेल में अपेक्षित है, तो सम्मति की प्रतिरक्षा सुलभ नहीं हो सकती। वह व्यक्ति, जो किसी राजमार्ग पर जाता है, या वह व्यक्ति जो किसी क्रिकेट अथवा मोटर-दौड़ को प्रतियोगिता देखने जाता है, और वहाँ विशुद्ध दुर्घटना अथवा सम्भावित क्षति से ग्रस्त हो जाता है तो यह परिकल्पना की जाती है कि इन्हें सहन करने के लिये उसने अपनी विवक्षित सम्मति दी थी यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की पुकार पर किसी बेकाबू घोड़े को रोकने के प्रयत्न में क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि मैं जानता था कि घोड़ा कूदेगा, परन्तु में यह नहीं जानता था, कि वह कितना कून्देगा।

हाल बनाम **बुकलैण्ड्स आटो रेसिंग क्लब** के वाद में वादी एक मोटर दौड़ प्रतियोगिता का दर्शक था। यह प्रतियोगिता बुकलैण्ड्स में स्वामी प्रतिवादी कम्पनी द्‌वारा आयोजित की गयी थी, इस प्रतियोगिता में सम्मिलित दो मोटर कारों में टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप एक मोटर कार दर्शकों पर उछल पड़ी और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। यह धारित किया गया कि वादी ने विवक्षित ऐसी क्षति का खतरा स्वयं उठाया था, क्योंकि इस खेल में खतरा ऐसा था कि

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

कोई भी दर्शक इसका पूर्वानुमान कर सकता था प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

पद्मावती बनाम **दुग्गानैका** के वाद में जब जीप का चालक टंकी में पेट्रोल भरवाने के लिये जा रहा था, दो अनजान व्यक्ति उसमें सवार हो गये अचानक अगले पहिये का अक्ष (axie) के साथ सुस्थिर करने वाला बोल्ट (bolt) निकल गया, जिसके परिणामस्वरूप पहिया अक्ष से अलग हो गया और जीप लड़खड़ाकर गिर पड़ी। दोनों अनजान व्यक्ति जीप से उछल कर बाहर गिर पड़े और उन्हें चोटें लगी तथा एक की बाद में मृत्यु हो गई।

यह धारित किया गया कि चोटों और मृत्यु कारित होने के लिये न तो चालक उत्तरदायी था, और न ही जीप का स्वामी, क्योंकि प्रथमतः यह एक शुद्ध दुर्घटना का मामला था, और द्वितीयतः अनजान व्यक्ति स्वेच्छया जीप पर सवार हुये थे। अत: ऐसे मामलों में 'सम्मति की प्रतिरक्षा' (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त लागू होता है।

"सम्मति" प्रतिरक्षा का तर्क **थामस** बनाम **क्वार्टमेन** के वाद में प्रस्तुत किया गया। इस वाद में वादी ने जो प्रतिवादी शराब के कारखाने (brewery) में एक कर्मचारी था, एक खौलते हुये कुण्ड के ढक्कन को हटाने का प्रयास किया। कुण्ड का ढक्कन बीच में फंस गया और वादी द्वारा जोर से खींचे जाने के कारण

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

वह सहसा बाहर निकल गया। वादी अपने पीछे एक अन्य कुण्ड में गिर गया, जिसमें दहकता हुआ द्रव भरा हुआ था। वादी गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया कोर्ट ऑफ अपील ने अपने बहुमत से यह धारित किया कि प्रतिवादी उत्तरदायी न थे क्योंकि खतरा प्रकट था, और वादी ने उसका मूल्यांकन, तथा स्वेच्छया उसका सामना किया था।

लगे शीशे के टुकड़ों अथवा तीक्ष्ण अंकुओं (Spikes) से अथवा खूँखार कुत्ते से क्षति कारित होती है, तो वह उसके लिये कार्यवाही नहीं कर सकता। यदि मैं जाकर किसी आतिशबाज के कार्यों का निरीक्षण स्वयं अपर मनोरंजन के लिये करता हूँ तो उसकी दुकान में विस्फोट हो जाने पर मैं उसके विरुद्ध अपनी क्षति के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, चाहे भले हो आतिशबाज ने अपने सामान को निपुणताविहीौन ढंग से रखा हो।

सम्मति स्वतन्त्र होनी चाहिये

सम्मति की प्रतिरक्षा सुलभ होने के लिये यह आवश्यक है कि वादी की सम्मति स्वतन्त्र हो यदि वादी की सम्मति कपट, विवशता अथवा भूल के प्रभाव से युक्त है, तो ऐसी सम्मति प्रतिरक्षा के रूप में नहीं मानी जा सकती।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य भी ऐसा होना चाहिये, जिसके लिये सम्मति दी गई है इस प्रकार, यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमन्त्रित करते हैं, तो आप उसके विरुद्ध प्रतिकर का दावा नहीं कर सकते। परन्तु, आगन्तुक व्यक्ति यदि किसी ऐसे स्थान पर जाता है, जिसके लिये उसे सम्मति नहीं दी गई है. तो वह अतिचार के लिये उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिये : यदि किसी अतिथि से यह निवेदन किया जाता है कि वह बैठक कक्ष में बैठे, और वह बिना किसी प्राधिकार अथवा औचित्य के शयन कक्ष में प्रवेश करता है, तो वह तिचार के लिये उत्तरदायी होगा, और वह प्रतिरक्षा का यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि उसने आपको सम्मति से आपके घर में प्रवेश किया था इसी प्रकार, डाकिये को मकान में रहने वाले व्यक्तियों की विवक्षित सम्मति प्राप्त रहती है, कि वह मकान के एक स्थान विशेष तक जाकर डाक का प्रत्यादान करे। यदि वह उस स्थान विशेष तक ही अपना प्रवेश रखता है, तो वह उत्तरदायी नहीं है। यदि डाकिया इस सीमित परिधि से आगे बढ़कर मकान के कमरों में प्रवेश करता है, तो वह अतिचार के लिये उत्तरदायी होगा।

विवशता द्वारा प्राप्त की गयी सम्मति(compulsion)

यदि किसी व्यक्ति की सम्मति स्वतन्त्र रूप से नहीं दी गई है तो ऐसे सम्मति समुचित सम्मति नहीं मानी जा सकती। ऐसी परिस्थिति सामान्यतः स्वामी और सेवक के सम्बन्धों में उत्पन्न होती है। सेवक कभी-कभी स्थिति में पड़

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

सकता है कि या तो वह जोखिम से परिपूर्ण कार्य स्वीकार करे या अपन नियोजन का अभित्याग करे। यदि वह प्रथम अनुकल्प का वरण करता है, तो आवश्यकत: इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने उस खतरनाक कार्य के परिणाम को सहन करने की भी सम्मति दे दी है जिसका उसने किया है।10 इस प्रकार जब सेवक को विवश बनाकर कोई ऐसा कार्य को करने को कहा जाता है, जिसको न करने का वह बार-बार विरोध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सम्मति का तर्क नहीं लिया जा सकता।। परन्तु, यदि एक कर्मचारी किसी विवशता से नहीं, वरन् स्वयं अपने स्वतन्त्र इच्छा से कोई जोखिम से परिपूर्ण कार्य अपने हाथ में लेता है, तो उसके विरुद्ध सम्मति की प्रतिरक्षा का तर्क उठाया जा सकता है।

केवल ज्ञान का तात्पर्य सम्मति नहीं है

सम्मति (Volenti non fit injuria) सिद्धान्त के प्रवर्तन हेतु दो बातों का साबित किया जाना आवश्यक

(1) वादी जानता था कि खतरा है। (2) खतरे को जानते हुये भी वह हानि सहन करने के लिये सहमत हो गया।

इन दोनों बातों में से यदि पहली बात साबित हो जाती है, अर्थात् यह कि वादी को केवल खतरे का ज्ञान था, तो इसे प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में स्वीकार नहीं

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

किया जा सकता, क्योंकि सूत्र यह है " जो सम्मति देता है, उसे क्षति नहीं होती।" (Volenti non fit injuria), यह नहीं कि " जो जानता है उसे क्षति नहीं होती। " (Silenti non fit injuria)13 मात्र यह कि वादी को हानि का ज्ञान था, यह संकेतित नहीं करता कि

उसने उसे सहन करने की भी सम्मति दे दी है।

बोवेटर बनाम **रीले रेगिस कारपोरेशन** 4 के वाद में वादी एक गाड़ीवान था। उससे प्रतिवादी फोरमैन ने एक घोडागाड़ी चलाने को कहा, जबकि दोनों जानते थे कि उस गाड़ी का घोड़ा भड़क सकता है। वादी ने प्रारम्भ में विरोध किया, परन्तु वाद में प्रतिवादी के आदेशानुसार उस घोड़े के चालन के लिये तैयार हो गया जब वादी घोड़े का चालन कर रहा था घोड़ा भड़क उठा और उसके परिणामस्वरूप वादी को क्षति कारित हुई।

स्मिथ बनाम **बेकर** के वाद में वादी को प्रतिवादी ने एक चट्टान में छेद करने (Drilling) के काम पर नियोजित कर रखा था। एक क्रेन की सहायता से काटे गये पत्थरों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाया जा रहा था और इस प्रक्रिया में हर बार क्रेन वादी के सिर के ऊपर से होकर गुजरती थी वादी जब अपने कार्य में व्यस्त था, तो एक पत्थर क्रेन पर से गिर गया जिससे वादी क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन जब उसके ऊपर से गुजरती थी, तब वस्तुत: उसके ऊपर से एक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

खतरा बना रहता था, और वादी को ठीक समय पर इस बात की चेतावनी न देना नियोजकों की उपेक्षा थी, चाहे भले ही वादी इन खतरों से पूर्णतया अवगत था।

हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा यह धारित किया गया कि चूंकि इस मामले में वादी को खतरे का ज्ञान मात्र ही था तथा उसने खतरे से होने वाली हानि सहन करने की सम्मति नहीं दी थी। प्रतिवादी उसे प्रतिकर देने के लिये उत्तरदायी थे।

यदि कोई कर्मचारी अपने नियोजक के निर्देशों की अवहेलना करता है, और सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उसके कारण स्वयं अपनी क्षति कारित करता है, तो निश्चय ही उसके विपरीत "सम्मति" का तर्क प्रतिरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र-03 “प्रभुसत्तात्मक एवं अप्रबुसत्तात्मक कार्यों के मध्य अब कोई अंतर नहीं है I “ इस कथन के आलोक में लोक सेवकों के अप्क्रत्यों के लिए सरकार के दायित्व की विवेचना कीजिये I

सम्प्रभु की शक्तियों के प्रयोग में किये गये कार्य यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम हरबन्स सिंह के बाद में दिल्ली कैन्टोनमेन्ट से भोज्य पदार्थों को कर्तव्यस्थ सैन्य कर्मचारियों को वितरित करने के लिये ले जाया जा रहा था भोज्य पदार्थों को ले जाने वाली ट्रक जो मिलिट्री विभाग की थी, सेना के एक ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी, इस ट्रक द्वारा एक दुर्घटना कारित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह धारित किया गया कि भोज्य पदार्थों को कर्तव्यस्थ सैन्य कर्मचारियों तक पहुँचाने का कार्य सम्प्रभु की शक्ति के प्रयोग में किया गया एक कार्य था, अत: राज्य को उसके लिये उत्तरदायी नहीं माना जा सकता

यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम **सविता शर्मा** के वाद में जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि सेना की एक ट्रक रेलवे स्टेशन पर ले जाना ताकि वहाँ से जवानों को यूनिट हेडक्वाटर्स ले जाया जाय, एक ऐसा कार्य है, जिसे असम्प्रभु के कृत्य की संज्ञा दी जा सकती है, अत: इस प्रकार चलाई जाने वाली ट्रक से यदि वाहिनी क्षतिग्रस्त होती है तो वह प्रतिकर प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सत्यावती देवी बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया** के वाद में वायु सेना के कुछ कर्मचारियों को, जो हाकी और बास्केट बाल टीम के सदस्य थे, वायु सेना की गाड़ी में मैच खेलने के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। ट्रक और एक मोटर साइकिल में टक्कर हुई जिसमें मोटर साइकिल के चालक की मृत्यु हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार का यह अभिवाक् अस्वीकार कर दिया कि सैनिकों को स्वास्थ्य के लिये ऐसे शारीरिक व्यायाम आवश्यक थे, और ऐसे कार्य को एक सम्प्रभु कार्य माना जाना चाहिये। यह धारित किया गया कि चूंकि मैच खेलने के लिये खिलाड़ियों की टीम को ले जाना एक ऐसा कार्य है, जिसका निष्पादन गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है, अत: ऐसे कार्य को सम्प्रभु का कृत्य नहीं माना जा सकता, और सरकार उत्तरदायी मानी गई।

नन्दराम हीरालाल बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया** के वाद में यह धारित किया गया कि ड़ी चलाकर व्यायाम स्थल से सैन्य अधिकारियों को वापस कोम्बैट कालेज, महू लाकर पहुंचाना एक असम्प्रभु कृत्य है और ड्राइवर की उपेक्षा से कारित दुर्घटना के लिये राज्य उत्तरदायी है विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(1) सरकार अर्थात् भारत संघ और राज्यों का उत्तरदायित्व वही है, जो कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का (2) सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा सम्प्रभु शक्ति के प्रयोग में किये गये अपकृत्यों के लिये उत्तरदायी नहीं। सरकार उस अपकृत्य के लिये उत्तरदायी है, असम्प्रभु के प्रयोग में किया गया है।

(3) सम्प्रभु शक्ति का तात्पर्य वह शक्ति है, जो विधिपूर्ण ढंग से केवल सम्प्रभु अथवा उस व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है, जिससे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(4) कौन-सी शक्ति सम्प्रभु शक्ति है, इसके लिये कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है। सुरक्षा बल का अनुरक्षण तथा सरकार के विभिन्न विभागों के कृत्य, जैसे विधि एवं व्यवस्था का अनुरक्षण, राष्ट्र का समुचित

राज्य के सेवकों द्वारा विधि द्वारा आरोपित आभारों के निर्वहन और सम्प्रभु के कृत्यों के प्रयोग में किये गये अपकृत्य

(Torts committed by the servants of the State in discharge of obligations imposed by Law and in exercise of sovereign functions)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इंग्लैण्ड में क्राउन प्रोसीडिंग्स ऐक्ट, 1947 पारित हो जाने के बाद राज्य के लिये अब यह प्रतिरक्षा का अभिवाक् सुलभ नहीं रह गया है कि इसके सेवकों द्वारा किया गया अपकृत्य विधि द्वारा आरोपित आभारों के निर्वहन में घटित हुआ था। क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट की धारा 2 (3) यह व्यवस्था करती है कि

"जहां इंगलिश कामन लॉ के किसी नियम द्वारा अथवा किसी संविधि द्वारा क्राउन के किसी अधिकारी को कृत्य प्रदत्त अथवा आरोपित किया गया है और यह अधिकारी उन कृत्यों को करते समय अथवा उन कृत्यों को करने के लिये अभिप्रेत किसी समय कोई अपकृत्य करता है, वहां ऐसे अपकृत्य के सन्दर्भ में क्राउन का उत्तरदायित्व वह होगा, जो उस स्थिति में होता, जब उस कृत्य को करने के लिये, उस अधिकारी को क्राउन द्वारा विधिपूर्ण ढंग से निर्देश के साथ अनुमति प्रदान अथवा आरोपित की गई होती है।"

भारत में विधि द्वारा आरोपित आभारों के निर्वहन में किये गये अपकृत्य के लिये प्रतिरक्षा सुलभ है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कोई सरकारी कर्मचारी जब विधि द्वारा आरोपित किसी कृत्य के कार्यान्वित करने के क्रम में अपकृत्य करता है, तो ऐसे सेवकों के अपकृत्यकारी कार्यों के लिये प्रतिकर का भुगतान करने के उत्तरदायित्व से राज्य अपनी उन्मुक्ति का औचित्य इस आधार पर प्रस्तुत कर सकता है, कि ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी उन कर्तव्यों को रोकने के लिये अभिप्रेत होता है, जो विधि के अक्षरों द्वारा आरोपित और नियन्त्रित होते हैं, सरकार द्वारा नहीं।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.